फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/323 बअनवान घीसाराम वगैरा बनाम सुरेश माली वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री अमृत परिहार व श्री कृष्णा सुथार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल गर्ग उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह वादी श्री घीसाराम के बयानों से हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादीगण द्वारा धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम सेला के खसरा नंबर 228 रकबा 0.28 हैक्टर में से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17.08.2021 से 0.09 हैक्टर भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को किया गया परंतु टंकण भूल से बेचान का क्षेत्रफल 0.09 हैक्टर की बजाय 0.1132 हैक्टर टंकण कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं रही तथा प्रतिवादीगण ने माफिक बेचान रजिस्ट्री अपने पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 998 दिनांक 06.07.2022 को स्वीकृत करवा दिया। वादीगण को इस भूल की जानकारी होने पर इस बाबत शुद्धिपत्र दिनांक 06.02.2023 को निष्पादित करते हुये 14.02.2023 को पंजीबद्ध करवाया गया। तथा उक्त पंजीबद्ध शुद्धि पत्र के आधार पर बेचान रजिस्ट्री में हुई टंकण भूल की वजह से 0.0235 हैक्टर भूमि जो वादीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा जिसके नये तरमीमी नंबर 746/228 रकबा 0.1135 हैक्टर है, में से 0.0235 हैक्टर की खातेदारी पुनः वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किये जाने के उपरांत तहसीलदार बाली व उनके प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किये जाने से तथा तहसीलदार बाली द्वारा वादीगण को सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु निर्देशित किया जाने से वादी से वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश किया गया है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्री दिनांक 17.08.2021 के अनुसार खसरा नंबर 228 रकबा 0.28 हैक्टर में से 0.1135 हैक्टर भूमि का बेचान किये जाने का अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध शुद्धिपत्र प्रदर्श–6 के अनुसार विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 02 की लाईन संख्या 04 में खसरा नंबर 228 रकबा 0.28 हैक्टर में से 0.1135 हैक्टर अंकन के स्थान पर शुद्धि के माध्यम से विक्रय पत्र के पृष्ठ 02 की लाईन संख्या 04 में खसरा नंबर 228 रकबा 0.28 हैक्टर में से कुल 0.09 हैक्टर शुद्ध पढा जाने का अंकन है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 14.02.2023 को पंजीबद्ध होना भी ज्ञात है। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 नामांतरकरण संख्या 998 दिनांक 06.07.2022 को स्वीकृत हो चुका है। जिससे बेचान किये खसरा नंबर 546/228 रकबा 0.1135 हैक्टर माफिक बेचान रजिस्ट्री अंकन हो चुका है। इस प्रकार बेचान रजिस्ट्री व शुद्धिपत्र दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम नामान्तरकरण संख्या 998 दिनांक 06.07.2022 के जरिये बेचान किये गये रकबे से (0.1135–0.09)=0.235 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नये तरमीमी खसरा नंबर 746/228 में सम्मिलित है। जिसकी घोषणा खातेदारी वादीगण द्वारा चाही गई है। प्रतिवादी तहसीलदार बाली द्वारा अपील करने हेतु निर्देशित किया गया है। परंतु नामांतरकरण संख्या 998 स्वीकृति दिनांक 06.07.2022 को शुद्धिपत्र प्रभाव में ही नहीं था जिससे नामांतरकरण संख्या 998 को प्रश्नगत किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं है। जहां तक खातेदारी घोषणा का प्रश्न है इस संबंध में भी विधि के प्रावधानों की कसौटी पर उक्त प्रकरण सटीक नहीं है। इसके साथ ही इन्द्राज दुरस्ती के मामले के तौर पर भी हस्तगत प्रकरण सटीक नहीं है। अतः न्यायालय यह उचित समझता है कि तकनीकी बिन्दुओं पर प्रकरण को खारिज नहीं किया जावें तथा चाहे अनुतोष अनुसार कार्यवाही हो। इस हेतु तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि वादीगण द्वारा	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपनी खातेदारी भूमि सेला के खसरा नंबर 228 रकबा 0.28 हैक्टर में से बेचान किये 0.09 हैक्टर रकबा का टंकण भूल से 0.1135 हैक्टर होने से बेचान रजिस्ट्री दिनांक 17.08.2021 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 998 दिनांक 06.07.2022 को स्वीकृत होकर मूल खसरा नंबर 228 के तरमीमी नंबर 746/228 रकबा 0.1135 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज हुई है परंतु इस टंकण भूल के संबध में वादीगण द्वारा प्रदर्श–6 शुद्धिपत्र निष्पादित करते हुये दिनांक 14.02.2023 को पंजीबद्ध करवा दिया है। अतः तहसीलदार बाली शुद्धिपत्र को मददेनजर रखते हुये नियमानुसार ग्राम सेला के तरमीमी खसरा नंबर 746/228 रकबा 0.1135 हैक्टर में से 0.0235 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करते हुये रिकॉर्ड शुद्धि की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. श्री धीसाराम पुत्र मानाराम
2. हेमाराम पुत्र मानाराम जाति माली निवासी दांतीवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुरेश माली पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली
2. अभयसिंह चौहान पुत्र पदमसिंहजी जाति राजपूत निवासी सेला तहसील बाली जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gems No. 2023/323

अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय को सुनने के पश्चात् वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सेला के तरमीमी खसरा नंबर 746/228 रकबा 0.1135 हैक्टर में से 0.0235 हैक्टर भूमि की खातेदारी तहसीलदार बाली शुद्धिपत्र को मददेनजर रखते हुये नियमानुसार वादीगण के नाम दर्ज करते हुये रिकॉर्ड शुद्धि की पालना सुनिश्चित करें। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/11/2024 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner